

23-3-18 पञ्जाबली पेश इशे पबकारन वकील उपारकी
हे वकीलसायी ने T.I. गाठ पत्रको उतारे
मठी गलने हेतु निवेदन किशटे एवं इस बाबत
Not Proved मे किशटे अल: Not Proved मे
T.I. गाठ पत्र खासिन् किमा गमा। पञ्जाबली
पत्रसल सुमार होकर इने नम्बर से काटो।
आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Not Proved
23/3/18

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लोक